ॐ 4953 * PERFORMA

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रूपये

Rs. 25000 ~~TWENTY~~ FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRA

G 511128

HARMA
L.B., Advocate
Registry Compound, Kutchery
Meerut (U.P)
M.: 9837308823, 9837864876

ओ३म्– विक्रय विलेख, कार्यालय मवाना

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार:– आवासीय मकान
2. वार्ड परगना:– मवाना, मेरठ
3. मौहल्ला:– ग्राम मवाना खुर्द वर्तमान विख्यात गोल्डन एवेन्यू कालोनी मवाना खुर्द मेरठ
4. सम्पत्ति का विवरण:– मकान नम्बर
5. मापन की इकाई :– वर्गमीटर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल :– वर्गमीटर
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) :–रास्ता मीटर चौडा
8. अन्य विवरण मीटर रोड/कार्नर इत्यादि) :–
9. सम्पत्ति का प्रकार:–
10. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमंजिला भवन की स्थिति मे)
11. कुल आच्छादित क्षेत्रफल :– वर्गमीटर
12. स्थिति–फिनिश्ड/सैमीफिनिश्ड/अन्य:– फिनिश्ड
13. निर्माण का वर्ष:– वर्ष

Ravindra

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PR

- 5 APR 2013   G 511127

ARUN SHARMA
B.Com.,LL.B., Advocate
Registry Compound, Kutchery
Meerut (U.P)
M.:-9837308823, 9897864876

::2::

14.. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है–
हाँ/नही:– लागू नही।

15.. प्रतिफल की धनराशिरू. – रूपये

प्रथमपक्ष की संख्या (1) द्वितीयपक्ष की संख्या (2)

विक्रेता का विवरण

मैसर्स रोसारी कन्सट्रक्शन्स प्रा०लि० (PAN AAGCR6674L)(ROSSARI CONSTRUCTIONS PVT. LTD) मुख्य कार्यालय 309, तृतीय तल दीप काम्पलेक्स, बेगम ब्रिज रोड, मेरठ द्वारा डायरेक्टर श्री संजय बंसल पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र बंसल निवासी "देवनार" 16 तिलक रोड, मेरठ शहर फोन–9837042228

क्रेता का विवरण

)
ी
3
र
न

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5 APR 20 G 511126

N SHARMA
B.Com, LL.B., Advocate
Compound, Kutchery
Meerut (U.P)
M.: 9837308823, 9897884878

:: 3 ::

यह विकय विलेख सरकारी अधिसूचना सख्या स.वि.क.नि. 5-462/11-2006-500(92)/2005 लखनऊ दिनांक 23-02-2006 संशोधित अधिसूचना सख्या स.वि.क.नि. नम्बर 2756/11 दिनाक 30-06-2008 के अन्तगर्त किया जा रहा है।

स्टाम्प शुल्क मय आवास शुल्क अंकन:–1,30,000/–रूपये।

1. विकीत मकान मवाना खुर्द जिला मेरठ क्षेत्र में है।

2. विकीत मकान का विकय मूल्य व बाजारी मूल्य अंकन : रूपये बैनामा हिस्सा कसी हिस्से मालियत आधे आधे यानि अंकन रूपये जमा अंकन – रूपये।

3. विकीत मकान आवासीय है, और आवास हेतू ही विकय किया जा रहा है, तथा मैन रोड से हटकर कालोनी के 12 मीटर चौडे रास्ते पर स्थित है, विकीत मकान के पचास मीटर की त्रिज्या मे आवासीय गतिविधियां ही है तथा विकय विलेख मे स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का अनुपालन सत्यता पूर्वक किया गया है तथा विकय विलेख मे संलग्न मानचित्र के अनुसार ही निर्माण है तथा केता व विकेता भारत के मूल नागरिक है।

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

पन्द्रह हजार रुपये

Rs. 15000

INDIA

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5 APR 2019 A 150910

4. विक्रीत आवासीय मकान नम्बर   मय आराज़ी तहती   वर्गमीटर, मध्ये खसरा नम्बर   स्थित ग्राम मवाना खुर्द तहसील मवाना जिला मेरठ वर्तमान विख्यात गोल्डन एवेन्यू फेज–   मवाना खुर्द तहसील मवाना जिला मेरठ, जिसमें भूतल पर एक ड्राईगरूम, एक कमरा, रसोई लेट्रिन बाथरूम पोर्च, जीना रकबई   वर्गमीटर मे बने है तथा शेष भाग अनकवर्ड है तथा ऊपर दो कमरे, स्टोर, लेट्रिन बाथरूम, व ममटी रकबई   वर्गमीटर मे बने है तथा शेष भाग अनकवर्ड है बने हे इस प्रकार सम्पूर्ण मकान का कुल कवर्ड एरिया रकबई   2 वर्गमीटर है तथा निर्माण प्रथम श्रेणी आर0सी0सी0लेण्टर का नव निर्मित बना है जिसकी छत आर.सी.सी. लेण्टर की है तथा फर्श पत्थर के बने है तथा विक्रीत मकान यथास्थिति जैसा है जहा है विक्रय किया जा रहा है

5. विक्रीत मकान के नीचे की भूमि का सर्किल रेट, सर्किल रेट लिस्ट के पृ0 17 के क्रमांक 1   1 पर अंकन   – रुपये प्रतिवर्गमीटर निर्धारित है, तथा निर्माण प्रथम श्रेणी आर0सी0सी0 लेण्टर का सर्किल रेट अंकन   –रुपये प्रति वर्गमीटर कवर्ड निर्धारित है, तथा बाउण्ड्रीवाल

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

5 APR 2019

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CN 878408

::5::

गेट आदि की कीमत अंकन रूपये है जो विक्रय मूल्य मे सम्मिलित है।

6. यह कि केतागण की मांगानुसार विक्रेता कम्पनी ने उक्त मकान में अतिरिक्त कार्य कराया है जिसकी कीमत अंकन, - रूपये है जिससे केतागण पूर्ण रूप से संतुष्ट है तथा यह विक्रय मूल्य मे शामिल है।

विक्रय पत्र ओर से मैसर्स रोसारी कन्सट्रक्शन्स प्रा0लि0 (ROSSARI CONSTRUCTIONS PVT. LTD.) मुख्य कार्यालय 309, तृतीय तल दीप काम्पलेक्स, बेगम ब्रिज रोड, मेरठ द्वारा डायरेक्टर श्री संजय बंसल पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र बंसल निवासी "देवनार" 16 तिलक रोड, मेरठ शहर ....प्रथम पक्ष/विक्रेता कम्पनी।।

पक्ष में

Sanjay Bansal

Ravindra

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CN 878409

::6::

जो कि निम्नसीमित व मापानुसार एक आवासीय मकान नम्बर 3 मय आराजी तहती वर्गमीटर, मध्ये खसरा नम्बर स्थित ग्राम मवाना खुर्द तहसील मवाना जिला मेरठ वर्तमान विख्यात गोल्डन एवेन्यू फेज- मवाना खुर्द तहसील मवाना जिला मेरठ, उक्त कालोनी का तलपट मानचित्र संख्या विनियमित क्षेत्र मवाना मेरठ से स्वीकृत है जिसका बाह्य विकास शुल्क अदा है, उक्त मकान की भूमि सहित अन्य भूमि की प्रथमपक्ष कम्पनी विक्रयपत्र दिनांक दस्तावेज नम्बर .6 व दिनांक 14 दस्तावेज नम्बर 4 दिनांक दस्तावेज नम्बर द्वारा क्रयकर व्यक्तिगत स्वामी है तथा राजस्व अभिलेखो मे प्रथमपक्ष विक्रेता कम्पनी का नाम मालिक काबिज स्वामी दर्ज है व तलपट मानचित्र के अनुसार कालोनी विकसितकर व्यक्तिगत स्वामी एवं विक्रयाधिकारी है जिसमे प्लाट नम्बर फेज- पर कम्पनी ने आवासीय भवन का आवासीय मानचित्र स्वीकृत कराकर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार प्रथम श्रेणी स्ट्रक्चर का निर्माण किया जो इस विक्रय पत्र द्वारा

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CN 877163

विकस किया जा रहा है तथा उक्त कालोनी में प्रथम पक्ष, कम्पनी द्वारा विभिन्न प्लाटस, फ्लेट, सिम्पलेक्स व डूपलेक्स आदि बनाये जा रहे हैं व उक्त कालौनी को आगे बढाने की प्लान् है। उक्त कॉलोनी की तलपट मानचित्र व उक्त मकान का मानचित्र देखकर व. विक्रेता प्रथम पक्ष के स्वामित्व सम्बन्धी समस्त कागजात की एक प्रति द्वितीय पक्ष ने प्राप्त करके व अपने अधिवक्ता से सलाह मशवरा करके निर्माण कार्य व पैमाइश व कालोनी के तलपट मानचित्र से व मौके पर मकान की पैमाइश करके अपनी पूर्ण सन्तुष्टि के उपरान्त उक्त मकान को यथा स्थिति जैसा है जहां है को अंकन /–रूपये में क्रय करने का प्रस्ताव प्रथम पक्ष विक्रेता कम्पनी को विक्रेता कम्पनी की निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया है यह मूल्य इस समय अति उचित मिल रहा है जो इस वक्त के बाजारी मूल्य के बराबर है, इससे अधिक मूल्य मिलने की कोई आशा नहीं है। विक्रय करने में ही प्रथम पक्ष विक्रेता कम्पनी का पूरा–पूरा लाभ व भलाई है। अतः प्रथम

Sanjay Bose

Ravindra

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

भारतीय जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CN 877164

पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये उपरोक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति को उससे सम्बन्धित समस्त अधिकार स्वामित्व एवं आधिपत्य सहित नीचे की भूमि तथा ऊपर के मलबे सहित बिना छोड़े हुये किसी भी स्वत्व अथवा अधिकार या वस्तु के चाहे उसका विवरण इस विक्रय विलेख में किया गया हो या न किया हो, को स्वेच्छानुसार स्थित बुद्धि व स्वच्छ इन्द्रियों की अवस्था मे अकन /- क्ष

मे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके उक्त विक्रीत मकान को अपने सारे ही अधिकार स्वामित्व तथा आधिपत्य आदि से निकालकर मौके पर खाली करके द्वितीय पक्ष के अधिकार स्वामित्व एवं अधिपत्य में देकर द्वितीय पक्ष क्रेता महोदय को अपनी भाति ही मालिक, काबिज व वास्तविक स्वामी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CN 877165

एवं पूर्णतया अधिकारी बना दिया। अब प्रथम पक्ष को कोई सम्बन्ध उक्त विक्रीत मकान से शेष नहीं रहा है और न भविष्य में होगा तथा उक्त विक्रय पत्र निम्न शर्तो के अधीन किया जा रहा है जिससे विक्रेता व क्रेता व उनके उत्तराधिकारी एवं प्रतिस्थापित करने के वचनवद्ध एवं बाध्य होंगे–

1– यह कि **गोल्डन ऐवेन्यू कालौनी** से संयुक्त प्रयोग हेतु बनी सड़क, पार्क, सीवर आदि सभी कामन सुविधाओं को संयुक्त रूप से प्रयोग करने का अधिकार कालौनी के समस्त क्रेतागण, विक्रेता व सह–स्वामियों केसाथ–साथ द्वितीय पक्ष क्रेता व उनके स्थापन्न व्यक्तियों को प्राप्त रहेगा। लेकिन उपरोक्त मकान के अलावा कोई विषयवस्तु विक्रय में सम्मिलित नहीं है। द्वितीय पक्ष क्रेता कामन एरिया/पार्क, सड़क, नाली आदि में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं करेंगे तथा उक्त मकान के अतिरिक्त अन्य किसी सम्पत्ति पर क्रेता का कोई अधिकार स्वामित्व या अधिपत्य नहीं है तथा प्रथम पक्ष को अन्य भूखण्डों/मकान/भूमि पर स्वेच्छानुसार निर्माण करने, कालौनी का विस्तार करने, रास्तों पर निर्माण के लिये अपनी निर्माण सामग्री रखने, निर्माण के लिये चाली, बल्ली गाड़ने का पूर्णतः अधिकार प्राप्त होगा जिसमें द्वितीय पक्ष या किसी भी क्रेता को काई आपत्ति नहीं होगी।

Sanjay Bose

Rajinder

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 5000 Rs. 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CN 87717

::10::

2– यह कि द्वितीय पक्ष को बिजली कनेक्शन एवं पानी कनेक्शन से सम्बन्धित खर्चा स्वयं बहन करना होगा तथा वे उपभोग के बिलों का भुगतान भी स्वयं अदा किया करेंगे।

3– यह कि वर्तमान समय में कालौनी का आन्तरिक विकास कार्य व मैन्टीनेन्स **मैसर्स रोसारी कन्सट्रक्शन्स प्रा0लि0** कर रही है इसलिये वास्तविक आधार पर कालौनी का मैन्टिनेन्स का भुगतान द्वितीय पक्ष क्रेता उक्त कम्पनी को करने के लिये बाध्य रहेगे। यदि भविष्य में कालौनी का मैन्टिनेन्स करने के लिये किसी संस्था की स्थापना की जाती है तो उस संस्था/एजेन्सी को भागानुसार/अनुपातिक/मैन्टीनेन्स का खर्चा क्रेता द्वितीयपक्ष चुकता करेगे जिसमें द्वितीयपक्ष क्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी तथा द्वितीयपक्ष क्रेता अपने भाग के मैन्टीनेन्स को प्रत्येक माह दस तारीख तक हर हालत में अदा करने के पाबन्द व जिम्मेदार रहेंगे। समय पर मैन्टीनेन्स खर्चा न देने पर द्वितीयपक्ष क्रेता की समस्त सार्वजनिक सुविधायें जैसे बिजली, पानी व कामन अन्य सुविधायें को रोकने का अधिकार प्रथम पक्ष कम्पनी को होगा और मैन्टीनेन्स खर्चा मय हर्जे खर्चे के द्वितीयपक्ष क्रेता से प्राप्त करने का अधिकार होगा जिसमें द्वितीयपक्ष क्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CN 877174

4– यह कि पर विक्रीत मकान का स्थलीय कब्जा प्रथम पक्ष ने द्वितीयपक्ष क्रेता को प्रदान कर दिया है तथा द्वितीयपक्ष क्रेता यह घोषणा करते हैं कि उक्त मकान की लोकेशन देखकर व निर्माण से व पैमाइश से सन्तुष्ट होकर व विक्रेता के स्वामित्व सम्बन्धी कागजात देखकर व उनकी प्रति प्राप्तकर व अतिरिक्त कार्य से संतुष्ट होकर अपना कब्जा विक्रीत मकान का यथास्थिति जैसा है जहां है जितना है प्राप्त कर लिया है तथा भविष्य मे मकान की आन्तरिक रख रखाव व मरम्मत इत्यादि के कार्य द्वितीयपक्ष स्वयं करायेगे।

5– यह कि द्वितीयपक्ष क्रेता आवासीय योजना के अन्तर्गत होने वाले नियम व कानून व लागू होने वाली शर्तों का पालन करेंगे जिसमें द्वितीय पक्ष क्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

6– यह कि प्रथम पक्ष विक्रेता कम्पनी को भविष्य में कालौनी मे छोड़े गये रास्तों को अपनी एक्सटेंशन कालौनी/अन्य भूमि से मिलाने का हर समय अधिकार प्राप्त रहेगा जिसमें द्वितीय पक्ष क्रेता कोई आपत्ति नहीं करेंगे।

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CN 877175

7— यह कि उक्त कालौनी नगरपालिका परिषद मवाना की नियत सीमा के बाहर के क्षेत्र में है, यदि भविष्य में नगरपालिका के क्षेत्र में आयेगी तो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि उक्त मकान पर गृहकर अपने नाम दर्ज करा लें, इस हेतु यदि प्रथम पक्ष के हस्ताक्षरों की आवश्यकता होगी तो प्रथम पक्ष अपने हस्ताक्षर करने के पाबन्द व जिम्मेदार रहूंगा। यह कि उक्त कालौनी की स्वच्छता एवं सुन्दरता के रख रखाव के लिये भावी क्रेताओं एवं प्रथमपक्ष विक्रेता कम्पनी द्वारा एक सोसाइटी मनोनीत की जायेगी जिसके नियम व शर्तों का पालन द्वितीय पक्ष क्रेता सदैव करेंगे।

8— यह कि द्वितीय पक्ष उक्त कालौनी में भैंसा या भैंसा बुग्गी अथवा दूध की डेयरी, हास्टल व कोई व्यवसायिक आदि का कार्य नहीं करेंगे जिससे कालौनी में गन्दगी पैदा हो अथवा कोई असामाजिक तत्व का आना जाना हो।

9– यह कि बरसाती पानी का बहाव अथवा अपने निर्माण के पानी का बहाव केवल उक्त कालौनी में छोड़ी गयी नालियों के अन्दर करेंगे तथा पानी का बहाव सड़क पर नहीं किया जा सकेगा तथा सड़क पर क्रेता, विक्रेता द्वारा बनाई गई नाली के अतिरिक्त कोई अन्य नाली नहीं खोलेंगे।

10– यह कि क्रेता अपने मकान के सामने सड़क पर किसी भी प्रकार की कोई गहराव, जाली आदि लगाकर सड़कों की चौड़ाई कम नहीं करेंगे तथा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगे जिससे अन्य भूखण्ड/मकान धारकों को कोई असुविधा हो।

11– यह कि यदि प्रथम पक्ष उक्त कलौनी में किसी यूनिट एवं यूनिटर्स पर उक्त भूखण्ड/प्लाट के अतिरिक्त किसी प्रकार कोई निर्माण करतें है तो उसमें क्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

12. यह कि द्वितीयपक्ष क्रेता मकान के फ्रन्ट एलीवेशन मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही करेगे अर्थात कालौनी के सभी मकान का एलीवशन/स्ट्रेक्चर एक सा है जिसमे परिवर्तन करने का अधिकार किसी भी क्रेता को नही होगा।

13– यह कि उक्त विक्रीत मकान यथास्थिति जहां है जैसा है विक्रय किया जा रहा है।

14– यह कि द्वितीय पक्ष यदि उक्त मकान को भविष्य में विक्रय करते है या किसी भी तरह से हस्तान्तरण करते हैं तो उक्त शर्तो पर ही अन्तरण करेंगे अर्थात् भावी क्रेता पर भी उक्त समस्त शर्तें व नियम लागू होंगे भले ही क्रेता द्वारा शर्तों का जिक्र आगे बैनामे में किया गया हो या न किया गया हो।

15 यह कि इस विक्रय पत्र का समस्त स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन फीस आदि का खर्चा द्वितीय पक्ष ने वहन किया है।

16– यह कि कम्पनी का कार्यालय मेरठ मे स्थित है यदि किसी भी कारण से पक्षो मे मध्ये कोई वाद विवाद की समस्या उत्पन्न होती है तो उस स्थिति मे न्याय क्षेत्र मेरठ जनपद मे रहेगा जिसमे किसी को कोई आपत्ति नही होगी।

वि.क्र. 11512 व रिश्वेदी

Saurabh Bosl

Ravindra

17— यह कि यह विक्रय पत्र स्वयं इच्छानुसार स्थिर बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रिओं की अवस्था में लिख दिया कि प्रमाणित तथा उपयोगी उक्त विलेख का मसौदा प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष द्वारा किये गये निर्देश व बताये गये विवरण के आधार पर तैयार किया है जिससे विलेख के पक्षकारों ने पढकर व समझकर अपने हस्ताक्षर किये हैं और गवाहों ने विलेख के पक्षकारों की शिनाख्त की है जिसके आधार पर फोटो सत्यापित किये गये। इति।।

नोट— प्रथम पक्ष विक्रेता ने उक्त कालोनी स्थित मवाना खुर्द तहसील मवाना जिला मेरठ में फ्लैट्स व प्लाटस व सिम्पलेक्स व डूपलैक्स आदि के अपने द्वारा निष्पादित व हस्ताक्षर विक्रय विलेख आदि को कार्यालय उप –निबन्धक मवाना जिला मेरठ में पंजीयन हेतु अपनी ओर से दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा पंजीयन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही अपनी ओर से अपने हस्ताक्षर से करने के लिये श्री विजेन्द्र सिहं पुत्र श्री शिशुपाल निवासी 225/8, उत्तरी सरधना रोड, कंकरखेड़ा, मेरठ शहर को द्वारा पंजीकृत विलेख मुख्त्यारनामा तस्दीकशुदा लिखित दिनांक 05.05.2016 ई0 जिसकी रजिस्ट्री बही नम्बर 6 जिल्द 4 पृष्ठ 73/84 में नम्बर 2 पर दिनांक 05.05.2016 ई0 को कार्यालय सब–रजिस्ट्रार मवाना मेरठ पक्ष हुई अपना मुख्त्यारनामा आम नियुक्त कर पंजीयन के सम्बन्ध में अपने समतुल्य अधिकार प्रदान किये हैं अतः प्रथम पक्ष/विक्रेता द्वारा निष्पादित तथा हस्ताक्षरित विक्रय विलेख को उपरोक्त मुख्त्यारे आम विजेन्द्र सिहं कार्यालय उप– निबन्धक मवाना मेरठ में प्रथम पक्ष/विक्रेता की ओर से प्रस्तुत कर प्रथम पक्ष विक्रेता की ओर से अपने हस्ताक्षर व निशानी अंगूठे से बहैसियत मुख्त्यारे आम पंजीयन करायेंगे। मुख्तयारे आम कर्ता अभी जीवित है मुख्त्यारेनामा अभी खारिज नहीं किया गया है आज की तारीख में प्रभावी है।

माप व सीमायें विक्रीत मकान

पूरब– ा।।

पश्चिम –

उत्तर – र 4 ।

दक्षिण – 2 ।

Scanned by CamScanner

विवरण प्राप्ति समस्त विक्रय मूल्य

Ravindra

Scanned by CamScanner

विक्रीत सम्पत्ति का फोटो

Scanned by CamScanner